न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 101/2023 तारीख दायर :–14.02.2023 दिनांक निर्णय :–10.03.2023

पटवारी हल्का पलवा तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

1. विश्राम पुत्र धन्ना जाति मीना निवासी डाबला मीणा तहसील राजगढ़ जिला अलवर
2. हसंराज पुत्र धन्ना जाति मीना निवासी डाबला मीणा तहसील राजगढ़ जिला अलवर
3. चन्द्रप्रकाश पुत्र धन्ना जाति मीना निवासी डाबला मीणा तहसील राजगढ़ जिला अलवर
4. बन्द्री पुत्र धन्ना जाति मीना निवासी डाबला मीणा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान
भू0 राजस्व अधिनियम–1956

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, अप्रार्थी द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का पलवा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। विश्राम, हंसराज, चन्द्रप्रकाश, बन्द्री पि0 धन्ना जाति मीना निवासी डाबला मीना तहसील राजगढ़ जिला अलवर की ओर से बद्री प्रसाद उपस्थित रहा। गैरसायलान के द्वारा पृथक–पृथक नोटिस जवाब एंव वकालतनामा पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायलान नियत दिनांक को बहस हेतु अनुपस्थित रहा। पत्रावली का सुक्ष्म अवलोकन किया गया गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत जवाब में अतिकमण नहीं करने का कथन किया है। अतिक्रमी की मंशा आराजी खसरा नम्बर 355 रकबा 0.06 है0 गै0मु0रास्ता के भूमि पर अतिक्रमण कायम रखने की प्रतित होती है, चूँकी राजकीय भूमि पर गैरसायलान द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्वत 2079 में गोबर का रेवड़ा डालकर अतिक्रमण किया गया है। पटवारी हल्का पलवा के अनुसार अतिकमी का अतिकमण सिद्ध होता है। अतिक्रमीयान काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:–

अतिक्रमी श्री विश्राम, हंसराज, चन्द्रप्रकाश, बन्द्री पि0 धन्ना जाति मीना निवासी डाबला मीना तहसील राजगढ़ जिला अलवर वाके ग्राम डाबला मीणा के आराजी ख0न0 आ0ख0न0 355 रकबा 0.06 है0 किस्म गै0मु0रास्ता राजकीय सिवायचक से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 1.000 की 50 गुणा में मु0 50.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों/पटवारी हल्का पलवा को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 10.03.2023 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2022-23
के पृष्ठ संख्या 25 पर रसीद 50/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार